

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, चास(बोकारो)।

सी0एन0टी0 एक्ट की धारा 46(1)(b) के अन्तर्गत

अभिलेख संख्या-16/2024-25

-: आदेश :-

गुची 14-फारम संख्या-560

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
01/08/2024	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक (विक्रेता) आशु बाउरी, जामला बाउरी, पिता-स्व0 गुही बाउरी, जाति-बाउरी, ग्राम-चास, थाना-चास, जिला-बोकारो के द्वारा चास अंचल अन्तर्गत मौजा-भवानीपुर, थाना नं0-52, खाता नं0-48, प्लॉट नं0-598, रकबा-10.25 डी0 भूमि बिक्री करने हेतु समर्पित आवेदन पत्र के आलोक में इस न्यायालय के पत्रांक 253/भू0सु0, दिनांक 27.06.2024 के द्वारा अंचल अधिकारी, चास से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई तथा आम सूचना निर्गत किया गया है जिसका तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख के साथ संलग्न है। अंचल अधिकारी, चास के पत्रांक 1608 दिनांक 11.07.2024 एवं पत्रांक 1720 दिनांक 26.07.2024 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जो निम्नवत् है :- 1. बिक्री किये जाने वाले भूमि रैयती खाते की है जिसका सर्वे खतियान आबाद मालिक के नाम से दर्ज है। 2. भूमि खतियान से प्राप्त नहीं है। बिक्रेता खतियानी रैयत का संबंध — है। 3. पंजी II में दर्ज रैयत से बिक्रेता का संबंध स्वयं है। 4. (क) बिक्रेता-ग्राम-चास, थाना-चास, जिला-बोकारो के मूल निवासी है। (ख) क्रेता-ग्राम-सिलफोर, थाना-चन्दनकियारी, जिला-बोकारो का मूल निवासी है। 5. बिक्रेता एवं क्रेता अनुसूचित जाति की श्रेणी में आते हैं। 6. क्रेता एवं बिक्रेता SC के मामले में एक ही जिला बोकारो के अन्तर्गत आते हैं। बिक्री की जाने वाली भूमि इसी जिला के अन्तर्गत आता है। 7. बिक्रेता अनुसूचित जाति के हैं एवं क्रेता अनुसूचित जाति के हैं। 8. बिक्री की जानेवाली भूमि विवाद रहित है। 9. बिक्री की जानेवाली भूमि सैरात/भूदान/गैरमजरूआ आम व खास/कब्रिस्थान/सरना/मसना/धार्मिक-स्थल/ अधिग्रहण इत्यादि से बाहर है। 10. प्रश्नगत भूमि बिक्री के पश्चात् बिक्रेता के पास 91 डी0 भूमि अवशेष बचता है। 11. बिक्री हेतु आवेदित प्लॉटों में पंजी II के अनुसार 10.25 डी0 भूमि है। 12. बिक्री के उपरान्त बिक्रेता भूमिहीन नहीं होगा। 13. बिक्रेता द्वारा बिक्री की जाने वाली भूमि बिक्रेता को केवाला द्वारा प्राप्त है। 14. बिक्री की जानेवाली भूमि का जमाबंदी संख्या 3761 पर आशु बाउरी दी0 के नाम से दर्ज है, जो ऑनलाईन जमाबंदी के भाग सं0-15, पृष्ठ सं0-81 में अंकित है जिसका लगान रसीद 2023-24 तक निर्गत है। 15. बिक्रेता का वंशावली अभिलेख के साथ संलग्न है जो अंचल अधिकारी द्वारा सत्यापित है। 16. स्थल पर बिक्रेता का शांतिपूर्वक दखल-कब्जा है। 17. बिक्री की जानेवाली भूमि का किरम बाईद है। 18. आवेदक को मौजा-भवानीपुर, थाना नं0-52, खाता नं0-48, प्लॉट नं0-598, रकबा-10.25 डी0 भूमि बिक्री की अनुमति हेतु अनुशंसा की जाती है। 19. प्रतिवेदन के साथ आम सूचना तामिला प्रतिवेदन संलग्न है।	

आदेश की
क्रम संख्या
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं० क्रमशः JHRC/2017/1747527 दिनांक 23.01.2018, JHRC/2017/1747587 दिनांक 23.01.2018 एवं क्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं० JHRC/2022/561969 दिनांक 25.02.2023 की छायाप्रति अभिलेख में संलग्न है।

अतः अंचल अधिकारी, चास के उपरोक्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 46(1)(b) के तहत आवेदक (विक्रेता) आशु बाउरी, जामला बाउरी, पिता-स्व० गुही बाउरी, जाति-बाउरी, ग्राम-चास, थाना-चास, जिला-बोकारो के द्वारा चास अंचल अन्तर्गत मौजा-भवानीपुर, थाना नं०-52, खाता नं०-48, प्लॉट नं०-598, रकबा-10.25 डी० भूमि (क्रेता) खुदीराम दास पिता-मागु दास, जाति-मोची, ग्राम-सिलफोर, थाना-चन्दनकियारी, जिला-बोकारो को बिक्री करने की अनुमति दी जाती है।

लेखापित एवं संशोधित,


भूमि सुधार उपसमाहर्ता
चास।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
चास।